

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 152/2020 दिनांक: नवम्बर, 23/2020

\*प्रेस नोट\*

\*आज दिनांक 23.11.2020 को थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अपराधी आकाश पटेल द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धनराशि से क्रय की गयी 03 अदद मोटरसाईकिल बजाज पल्सर मोटरसाईकिल कीमत लगभग 36,000/- रुपये, हीरो सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल कीमत लगभग 28,000/- रुपये एवं यामाहा सोलो स्कूटी कीमत लगभग 20,000/- रुपये है, को धारा-14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।\*

थाना रोहनियाँ में पंजीकृत मु0अ0सं0-386/2020 धारा 3{1} उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश पटेल पुत्र लाल बहादुर पटेल निवासी मातलदेई थाना रोहनियाँ वाराणसी एक शांतिर अपराधी है। आकाश पटेल अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने आपराधिक कृत्यों से अपने गैंग के सदस्यों, परिजनों को भौतिक एवं आर्थिक लाभ पहुँचाने हेतु अपराध कारित करने का अभ्यस्त एवं पेशेवर अपराधी है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति से क्रय की गयी 03 अदद मोटरसाईकिल (1) बजाज पल्सर मोटरसाईकिल कीमत लगभग 36,000/- रुपये, (2) हीरो सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल कीमत लगभग 28,000/- रुपये एवं (3) यामाहा सोलो स्कूटी कीमत लगभग 20,000/- रुपये है, को जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा कुर्क करने सम्बन्धी प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 23.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक रोहनियाँ द्वारा मय हमराह पुलिस बल के उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त मोटरसाईकिलों की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

\*अभियुक्त का विवरण-\*

- आकाश पटेल पुत्र लाल बहादुर पटेल निवासी मातलदेई थाना रोहनियाँ वाराणसी।

\*जब्त की गई संपत्ति का विवरण-\*

- 01 बजाज पल्सर मोटर साइकिल संख्या UP 65 CF 8343, कीमत लगभग 36,000/- रुपये ।
- 02 हीरो सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल संख्या UP 65 CD 6064, कीमत लगभग 28,000/- रुपये ।
- 03 यामाहा सोलो स्कूटी संख्या UP 65 AN 7183, कीमत लगभग 20,000/- रुपये ।

\*आपराधिक इतिहास-\*

- 01 मु.अ.सं. 343/2020 धारा 392/411/420 भादवि थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी
- 02 मु.अ.सं. 386/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी

\*पुलिस टीम का विवरण-\*

- प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।
- उ0नि0 सचिन कुमार थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

\*आज दिनांक 23.11.2020 को थाना कैण्ट पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर मोनू व विनोद गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के लगभग चार लाख रुपये कीमत के सोने चाँदी के आभूषण बरामद\*

आज दिनांक 23.11.2020 को थाना कैण्ट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0893/2020 धारा 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण (1) मोनू पुत्र मुन्ना निवासी अम्बेडकर कालोनी सदर बाजार थाना कैण्ट वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष व (2) विनोद पुत्र स्व0 मंगली निवासी बहादुर शहीद मजार सदर बाजार थाना कैण्ट वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष को फुलवरिया क्रासिंग के पास से समय करीब 09.35 बजे गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 04 अदद सोने की अंगूठी, 01 अदद सोने का मनटीका, 09 अदद सोने की कील, 01 अदद सोने का कान का टप्स व कनोटी, 01 अदद सोने का झुमका, 01 अदद सोने का कान का पल्ला, 01 अदद सोने का टप्स का पल्ला, 03 अदद सोने का लाकेट, 03 अदद चाँदी की छागल, 01 अदद चाँदी की पायल, 01 अदद चाँदी की हाफ करधनी व 23 अदद चाँदी के सिक्के (जिसकी अनुमानित कीमत चार लाख रुपये) बरामद हुये। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*विवरण पूछताछ-\*

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम दोनों ने दिनांक 14.11.2020 को अम्बेडकर कालोनी सदर बाजार थाना कैण्ट में रात्रि को एक सुनसान बन्द कमरे की खिड़की को तोड़कर घर में रखे सोने चाँदी के जेवरात चोरी किये थे तथा बेचने के लिये इधर-उधर भटक रहे थे। सारे जेवरात बिक जाते है तो हम लोगों को काफी पैसा मिल जाता। इसीलिये आज हम लोग सारे जेवरात को लेकर बेचने के लिये जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

1. मोनू पुत्र मुन्ना निवासी अम्बेडकर कालोनी सदर बाजार थाना कैण्ट वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष
2. विनोद पुत्र स्व0 मंगली निवासी बहादुर शहीद मजार सदर बाजार थाना कैण्ट वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष

\*बरामदगी का विवरण-\*

- 03 अदद सोने की अंगूठी, 01 अदद सोने का मनटीका, 09 अदद सोने की कील, 01 अदद सोने का कान का टप्स व कनोटी, 01 अदद सोने का झुमका, 01 अदद सोने का कान का पल्ला, 01 अदद सोने का टप्स का पल्ला, 03 अदद सोने का लाकेट, 03 अदद चाँदी की छागल, 01 अदद

चांदी की पायल, 01 अदद चांदी की हाफ करधनी व 23 अदद चांदी का सिक्के (जिसकी अनुमानित कीमत चार लाख रुपये)

**\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\***

- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 अजय पाल चौकी प्रभारी फुलवरियां, का0 रामानन्द यादव क्राइम टीम, का0 रंजीत द्विवेदी, का0 राज मल्होत्रा, का0 सहदेव शाह, का0 मनीष बघेल व का0 मनीष सिंह थाना कैण्ट वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

दिनांक 22.11.2020 को थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 339/2020 धारा 376 एबी भादवि व 5(एम)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शुभनारायण तिवारी पुत्र स्व0 रामजी तिवारी निवासी महेशपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र 58 वर्ष को उसके घर से समय करीब 22.45 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- शुभनारायण तिवारी पुत्र स्व0 रामजी तिवारी निवासी महेशपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र 58 वर्ष

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- व0उ0नि0 राजेश कुमार त्रिपाठी का0 जगत नारायण थाना मण्डुवाडीह वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

दिनांक 22.11.2020 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 549/2020 धारा 354(क)/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त प्रभाकर द्विवेदी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दुबे निवासी बसांव थाना चोलापुर वाराणसी हालपता फास्ट न्यूज इंडिया श्रीराम कम्पलेक्स निकट रोडवेज थाना सिगरा वाराणसी को आफिस फास्ट न्यूज इण्डिया श्री राम काम्पलेक्स से समय 20.00 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- प्रभाकर द्विवेदी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दुबे निवासी बसांव थाना चोलापुर वाराणसी हालपता फास्ट न्यूज इंडिया श्रीराम कम्पलेक्स निकट रोडवेज थाना सिगरा वाराणसी।

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ0नि0 मिर्जा रिजवान अली बेग चौकी प्रभारी रोडवेज व हे0का0 विनय सिंह थाना सिगरा जनपद वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

**\*प्रेस नोट\***

दिनांक 22.11.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर वाराणसी के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच वाराणसी, थाना लालपुर-पाण्डेयपुर व थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा इनामिया/वांछित की पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि जनपद की विभिन्न आपराधिक घटनाओं में वांछित व ₹0-50,000/- के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी मोनू उर्फ मोनी उर्फ अरविन्द सिंह चौहान पुत्र स्व0 हरिहर चौहान निवासी सा0 1/64 पागलखाना रोड थाना कैण्ट वाराणसी व हालपता लाखी दानगंज थाना चोलापुर वाराणसी रिन्ग रोड पर लूच/हत्या की घटना को अंजाम देने हेतु अपने साथी के साथ काले रंग की अपाचे मोटरसाईकिल से आयेगा। उक्त सूचना प्राप्त होते ही अपर पुलिस अधीक्षक नगर विकास चन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच, थाना लालपुर-पाण्डेयपुर एवं थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा रिन्ग रोड ऐढ़े मोड़ के पास थाना लालपुर-पाण्डेयपुर क्षेत्र में उसे रोककर गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया। मोनू चौहान द्वारा अत्यन्त आक्रामक व दुस्साहसिक ढंग से पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायर प्रारम्भ कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी संतुलित एवं नियंत्रित जवाबी फायर किया गया जिसमें मोनू चौहान गोली लगने से घायल हो गया तथा उसका साथी अंधेरे का लाभ लेकर मौके से फरार हो गया। मोनू चौहान को तत्काल घायल अवस्था में कबीरचौरा अस्पताल में ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुठभेड़ में पुलिस टीम के उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय व आरक्षी विनय सिंह भी घायल हुए जिन्हे उपचार हेतु सिंह मेडिकल एण्ड सर्जिकल अस्पताल ले जाया गया।

कुख्यात अपराधी मोनू चौहान के कब्जे से एक अदद पिस्टल .32 बोर, 01 अदद तमन्चा .315 बोर, भारी मात्रा में कारतूस, एक अदद साइड कैरी बैग व 01 अदद अपाचे मोटरसाईकिल संख्या UP65 CZ 8578 बरामद हुई।

उक्त पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पर मु0अ0सं0 246/2020 धारा-307/411 भादवि व मु0अ0सं0 247/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*मोनू उर्फ मोनी उर्फ अरविन्द सिंह चौहान का आपराधिक इतिहास-\***

1. मु0अ0सं0-173/2011 धारा-304/34 भादवि थाना आदमपुर, वाराणसी।
2. मु0अ0सं0-179/2011 धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना आदमपुर, वाराणसी।
3. मु0अ0सं0-618/2012 धारा-380/411/457 भादवि थाना कैण्ट, वाराणसी।
4. मु0अ0सं0-591/2013 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट, वाराणसी।
5. मु0अ0सं0-92/2015 धारा-395/397 भादवि थाना चेतगंज, वाराणसी।
6. मु0अ0सं0-97/2015 धारा-411 भादवि थाना चेतगंज, वाराणसी।
7. मु0अ0सं0-98/2015 धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना चेतगंज, वाराणसी।
8. मु0अ0सं0-157/2015 धारा-147/148/149/307 भादवि थाना कोतवाली, वाराणसी।
9. मु0अ0सं0-215/2016 धारा-147/148/149/342/353/332/333/307/323/336/308/504/506/427/364/364ए/368 भादवि व ¼ लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि01984 थाना कैण्ट, वाराणसी।
10. मु0अ0सं0-382/2017 धारा-307 भादवि थाना शिवपुर, वाराणसी।
11. मु0अ0सं0-383/2017 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवपुर, वाराणसी।
12. मु0अ0सं0-202/2019 धारा-41/411 भादवि थाना रोहनिया, वाराणसी।
13. मु0अ0सं0-203/2019 धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना रोहनिया, वाराणसी।
14. मु0अ0सं0-50/2019 धारा-25 आयुध अधिनियम थाना आदमपुर, वाराणसी।

15. मु0अ0सं0-49/2019 धारा-307 भादवि थाना आदमपुर, वाराणसी।
16. मु0अ0सं0-235/2020 धारा-397/302 भादवि थाना लालपुर पाण्डेयपुर, वाराणसी।
17. मु0अ0सं0-239/2020 धारा-307/506 भादवि थाना लालपुर पाण्डेयपुर, वाराणसी।
18. मु0अ0सं0 246/2020 धारा 307/411 भादवि थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
19. मु0अ0सं0 247/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvn-up@nic.in](mailto:ईमेल-sspvn-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 157/2020 दिनांक: नवम्बर, 23/2020

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 23-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*कुल 26 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया, \*14 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम\* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा बिना मास्क धारण किये \*कुल 470 व्यक्तियों से रु0-14,000/- जुर्माना\* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 1160 वाहनों का चालान, 02 वाहनों को सीज तथा 141 वाहनों से रु0-1,46,600/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 158/2020 दिनांक: नवम्बर, 23/2020

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 23.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 160 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5570 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 1009 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 185 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1077 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 के विरुद्ध 34 पुलिस एक्ट में कार्यवाही, 05 व्यक्तियों के विरुद्ध 290 भादवि की कार्यवाही, 12 व्यक्तियों का एमवी एक्ट में चालान, 07 के विरुद्ध 151 सीआरपीसी में चालान तथा 44 शोहदों को हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।